फारम सं0-563

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

खीस्ट अर्पित बाजराय, पिता-स्व0 जे0 ए0 बाजराय, निवास स्थान-हुड़हुडू टोला पतरातू, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-चानो-1, थाना नं0-148, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-33/81, रकवा-7.10 डी0 भूमि मार्शल होरो, पिता-स्व0 आनन्द मसीह होरो, ग्राम-लाखे जबरा, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 468/2022 प्रारम्भ कर, आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की मॉग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि-

क्रेता मार्शल होरो एवं विक्रेता खीस्ट अर्पित बाजराय अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा लगभग 1.41.90 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं डा0 मसीचरण पंकज के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक की फुआ हिरामनी बाजराय को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 162/I पर आवेदक खीस्ट अर्पित बाजराय के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता खीस्ट अर्पित बाजराय का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/172633 दिनांक-26.03.2022 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCST/2022/128940 दिनांक-26.03.2022 और क्रेता मार्शल होरो का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2022/234317 दिनांक-20.05.2022 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	
	JHCST/2022/202684 दिनांक-19.05.2022 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-चानो-1, थाना नं0-148, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-33/81, रकवा-7.10 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.08.08 18:06:22 +05:30
Location: 192.168.100.2